



**केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय**  
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित, शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के अधीन)  
**श्री महाराजा रणबीर सिंह परिसर, कोट-भलवाल, जम्मू**



क्रमाङ्क:- के.सं.वि.वि.ज./16013/2025-26/35

दिनाङ्क: 17 अप्रैल 2026

**कार्यालय-आदेश**

(प्रशिक्षुता कार्यक्रम में निरन्तर एवं अनिवार्य उपस्थिति)  
(Continuous & Compulsory Attendance during Internship)

कार्यालय-आदेशपत्र “के.सं.वि.वि.ज./16013/2025-26/27/15-04-2026” के द्वारा शास्त्री द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सत्रार्थ तथा आचार्य द्वितीय सत्रार्थ के विद्यार्थियों को विशेष निर्देशपूर्वक सूचित किया गया था कि दिनाङ्क 16-04-2026 से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षुता कार्यक्रम (Internship Program) में सभी विद्यार्थियों की नियमित रूप से उपस्थिति अनिवार्य है। किंचिन्मात्र भी अनुपस्थित होने की स्थिति में विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा और आगामी वर्ष में उन्हें पुनः इन्टर्नशिप में भाग लेना होगा तथा तभी वह परीक्षा में उत्तीर्ण माना जायेगा।

सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रशिक्षुता कार्यक्रम के दौरान नियमित उपस्थिति को लेकर किसी भी प्रकार की अवमानना क्षम्य नहीं होगी।

(प्रो. सतीश कुमार कपूर)

निदेशक

प्रतिलिपि (क्रियान्विति एवं सूचनार्थ) →

1. समस्त विद्याशाखा संयोजक
2. समस्त प्राध्यापक
3. उपर्युक्त समस्त छात्र-छात्राएं
4. परिसर वेबसाइट प्रभारी
5. समस्त सूचना पट्ट
6. अनुभाग-अधिकारी
7. सम्बन्धित पञ्जिका।

(प्रो. सतीश कुमार कपूर)

निदेशक